

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 3595 /

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री भगवन्त सिंह [लिंक नं. 3595] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर [5] को दिनांक 10/07/2015 दिनांक से 03/07/2016 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, पंचायती राज विभाग, जयपुर [24413] के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।


(पंकज प्राटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 3595 / 650

दिनांक :- 11-7-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. कोषाधिकारी जयपुर
4. श्री /श्रीमती / सुश्री भगवन्त सिंह [3595] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली



(डॉ मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)